**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4131**

**(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पक्के आवास**

**4131. श्री गोपाल जी ठाकुरः**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत प्रत्येक निर्धन परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराया गया है;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कितने निर्धन लोगों को पक्का आवास दिए जाने का लक्ष्य है;

(ग) क्या इस योजना के लाभार्थियों से बिचौलियों द्वारा धन उगाही के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और परिणामस्वरूप लोग अपने आवासों का निर्माण नहीं कर पाएः

(घ) क्या सरकार का बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करके तथा सरकारी अधिकारियों को और अधिक जवाबदेह बनाकर इसे पूर्णतया विश्वसनीय योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान दरभंगा में संस्वीकृत निधि और कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का दरभंगा में कार्यान्वित की गई सभी योजनाओं की जांच के लिए एक केन्द्रीय जांच दल भेजने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**

**(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)**

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों को अन्य योजनाओं के अभिसरण द्वारा बुनियादी सुविधाओं वाले 4.95 करोड़ पक्के आवास प्रदान करके "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करना है। पीएमएवाई-जी के तहत , लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना

(एसईसीसी) 2011 और अंतिम रूप दी गई आवास+ 2018 सूचियों के तहत निर्धारित आवास अभाव मापदंडों और बहिर्वेशन मानदंडों के आधार पर की जाती है , जो संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने के अध्यधीन है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के तहत संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों का उपयोग करके पात्र अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+ 2018 सूची को अद्यतन करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा , केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से एक सर्वेक्षण किया जा रहा है , जिसे पहले ही दिनांक 17.09.2024 को शुरू किया जा चुका है। समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए, इस ऐप में स्व-सर्वेक्षण और पूर्व-पंजीकृत सर्वेक्षकों के माध्यम से सहायता प्राप्त सर्वेक्षण दोनों का प्रावधान है।

(ख): वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान , पीएमएवाई-जी के तहत , राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को 84.45 लाख आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिनमें से 62.57 लाख आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं और दिनांक 20.03.2025 तक 7.00 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

(ग) और (घ): पीएमएवाई-जी के तहत , केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के राजकोष में निधियां जारी की जाती है , और बाद में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य अंश के साथ पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में जमा की जाती है। इसके बाद इस योजना की शुरुआत से ही निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) जारी होने के परिणामस्वरुप ,डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे निधियां जारी की जाती है। पीएमएवाई-जी की निगरानी एमआईएस अर्थात आवाससॉफ्ट में कार्य-प्रवाह आधारित लेनदेन डेटा का उपयोग करके वास्तविक समय में प्रगति की स्थिति दर्ज करके की जाती है। इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए , केंद्रीय टीमों, राज्य के राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। संसद सदस्यों की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी (दिशा) समिति और सामाजिक लेखा परीक्षा आदि के माध्यम से भी निगरानी की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की निगरानी प्रणाली एक तृतीय-पक्ष द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र है जो देश में पीएमएवाई -जी सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के नियमित मूल्यांकन की दिशा में काम कर रहा है। इसके दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि पीएमएवाई-जी के तहत प्रशासन के विभिन्न स्तरों जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुसार शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में

सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) या अन्य माध्यम से प्राप्त शिकायतों के संबंध में , शिकायत निवारण के लिए इसे संबंधित राज्य सरकार को भेजा जाता है क्योंकि जमीनी स्तर पर राज्य सरकार पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित कर रही है। शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक स्तर पर नामित अधिकारी मंत्रालय से शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करते हैं और शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए मंत्रालय को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

इसके अलावा , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएमएवाई-जी के तहत शिकायतों के निपटान और सूचित की गई अनियमितताओं की घटनाओं के संबंध में मनरेगा के तहत लोकपाल की सेवाओं का उपयोग करते हैं ताकि शिकायतों का शीघ्र निवारण किया जा सके और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके।

(ड.): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत, स्वीकृत किए गए आवासों के लाभार्थियों की आवश्यकता के आधार पर राज्य से प्राप्त प्रस्ताव , राज्य नोडल खाते में उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि, कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की उपलब्धियों के आधार पर राज्य को निधियां जारी की जा रही है। पीएमएवाई-जी के तहत केंद्रीय सहायता राज्य को एक इकाई मानते हुए सीधे राज्य को जारी की जाती है। इसके पश्चात ये निधियां विभिन्न जिलों में लाभार्थियों को संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी की जाती है। यह निधि निर्धारित राज्य अंश, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट स्तर तक इसके उपयोग सहित निधियों के उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं।

पिछले पांच वर्षों में बिहार के दरभंगा जिले में निर्मित आवासों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| **वर्ष** | **निर्मित आवास** |
|---|---|
| 2019-20 | 22,442 |
| 2020-21 | 77,989 |
| 2021-22 | 49,118 |
| 2022-23 | 29,329 |
| 2023-24 | 2284 |
| **कुल** | 1,81,162 |

पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार राज्य को वर्षवार जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | जारी केंद्रीय अंश |
|---|---|
| 2019-20 | 4902.97 |
| 2020-21 | 6683.93 |
| 2021-22 | 3082.22 |
| 2022-23 | 7497.21 |
| 2023-24 | 29.65 |
| **कुल** | 22,195.98 |

(च) और (छ): वर्तमान में , दरभंगा जिले में केन्द्रीय दल भेजने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****